न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्याः—426/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00373)

1 शिवदान सिंह पुत्र श्री रामदान उर्फ रामनारायण, जाति चारण बारेठ, उम्र वर्ष
2. श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नी श्री रामदान उर्फ रामनारायण जाति चारण बारेठ, उम्र वर्ष निवासीगण ग्राम पोस्ट बागावास, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत बाघावास जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बाघावास, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर, राजस्थान।
2. जोरावर सिंह पुत्र श्री मदन सिंह जाति चारण बारेठ,
3. शुभकरण पुत्र स्व. श्री मालदान, जाति चारण बारेठ,
4. भंवर सिंह पुत्र स्व. श्री मालदान जाति चारण बारेठ,
5. हनुमान सिंह पुत्र स्व. श्री मालदान, जाति चारण बोरठ,
6. मदन सिंह उर्फ दुर्गादान पुत्र श्री विजयदान, जाति चारण बारेठ, निवासीगण बाघावास, पोस्ट बाघावास, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 27.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर राजस्थान के आदेश दिनांक 13.10.2017 (प्रकरण संख्या 8/2016) के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 122, ग्राम धोल्या का बास एवं नामान्तरकरण संख्या 769 ग्राम बाघावास दिनांक 30.09.1995 ग्राम पंचायत बाघावास को निरस्त किये जाने बाबत इस आधार पर प्रस्तुत की थी, कि आराजी खसरा नम्बर 1588 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम धोल्या का बास एवं आराजी खसरा नम्बर 361/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 363 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 412 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 413 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 414 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 415 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 435 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा ग्राम बाधावास में स्थित है जिसके 1/4 हिस्से के खातेदार गोपालदान का स्वर्गवास सन् 1993 में हो गया था जिसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 122 एवं 769 अलग ग्राम में स्थित भूमि होने के कारण अलग—अलग भरा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गया जिसे विधि विपरित तरीके से तस्दीक कर अंकन कर दिनांक 30.09.1995 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में स्वीकार कर लिया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित, विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि दोनों नामान्तरकरण संख्या 122 एवं 769 तथाकथित वसीयत दिनांक 03.11.1993 का हवाला देते हुए गोपालदान की मृत्यु पर यह नामान्तरकरण खोले गये है क्योंकि वसीयत अनरजिस्टर्ड है एवं मात्र नोटेरी पब्लिक अटेस्टेड वर्णित की गई है, नामान्तरकरण गोपालदान की मृत्यु दिनांक 22.11.1993 के आधार पर दिनांक 12.07.1995 को सर्वप्रथम भरा गया है जबकि स्वयं जोरावर सिंह ने एक इकरारनामा 5 रूपये के स्टॉम्प पर दिनांक 07.03.1994 को निष्पादित किया जिसके अनुसार उपरोक्त वसीयत घोषणा की कि वसीयत दिनांक 03.11.1993 में मेरी इच्छानुसार निरस्त करता हूँ तथा स्व. गोपालदान की समस्त चल अचल सम्पत्ति के मालिक उसके तीनों भाई मदनसिंह, मालदान व रामदान ही है, जिसको दिनांक 08.03.1994 को नोटेरी पब्लिक से रूबरू गवाहों के समक्ष जारोवर सिंह के पिता श्री मदनसिंह व अन्य गवाहों के समक्ष तस्दीक किया गया उसके बावजूद भी उपरोक्त तथाकथित वसीयत के आधार पर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किये गये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण पर दिनांक 09.09.1995 को सरपंच ने कॉलम संख्या 8 से 11 पर अंकन किया है कि निर्णायक कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें अग्रिम कार्यवाही की जा सके किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नही है कि निर्णायक कमेटी ने क्या रिपोर्ट ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि उक्त जांच से पूर्व ही अनाधिकृत तरीके से उक्त दोनों नामान्तरकरण को दिनांक 30.09.1995 को ही इस आदेश के साथ कि नामान्तरकरण पेश हुआ, मुताबिक सर्वसम्मत निर्णय किया गया है कि गोपालदान के स्वर्गवास होने पर श्री मालदान, रामदान उर्फ रामनारायणदान, मदनसिंह पुत्र विजयदान बारेठ व जोरावर सिंह पुत्र मदन सिंह के नाम स्वीकार किया जाता है जबकि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा यह अंकन किया था कि गोपालदान पुत्र विजयदान जाति बारेठ निवासी बाघावास की मृत्यु हो चुकी है जिसकी मृत्यु पर भूमि का बंटवारा चार हिस्सो मे बराबर किये जाने का निर्णय लिया गया किन्तु उक्त निर्णय के पश्चात् भी वसीयत निरस्त होने के पश्चात् भी नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जोरावरसिंह के नाम तस्दीक फरमा दिया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का भी अध्ययन किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि गिरदावर द्वारा दिनांक 20.10.1995 के अंकन एवं निर्देशानुसार मौके पर कोई जांच नही की गई तथा उससे पूर्व ही दिनांक 30.09.1995 को नामान्तरकरण स्वीकार फरमा दिया गया इसलिये दोनों नामान्तरकरण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि वसीयत दिनांक 03.11.1993 अनरजिस्टर्ड थी, जोरावरसिंह मृतक गोपालदान के भाई का लड़का था जिसका कोई हक विवादग्रस्त भूमि में कतई नही बनता था एवं तथाकथित वसीयत पूर्णतः सन्देहास्प्रद थी इसके बावजूद बिना सत्यता की जांच किये ही मृतक गोपालदान के स्वर्गवास के दो वर्ष बाद नामान्तरकरण स्वीकार करने में अहम कानूनी भूल की है इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 के पिता मालदान ने दिनांक 09.09.195 को सरपंच के समक्ष लिखित आपत्ति भी प्रस्तुत की थी किन्तु उक्त आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण स्वीकार कर गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि गोपालदान के कोई सन्तान नही थी, कोई वारिस नही था इसलिये उनकी मृत्यु पर उनके तीनों भाई तत्समय मालदान, रामनारायणदान एवं मदनसिंह उर्फ दुर्गादान प्रत्येक 1/3 हिस्से के हकदार बने है, इसी अनुसार नामान्तरकरण बाद जांच तस्दीक किया जाकर स्वीकार किया जाना चाहिये था तथा पूर्व में भी मदन सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6, अपीलार्थी संख्या 1 के पिता व अपीलार्थीया संख्या 2 के पति रामदान व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 के पिता स्व. श्री मालदान के मध्य एक वाद उप जिलाधीश सांभरलेक के मुकदमा नम्बर 44/1994 बाबत घोषणा खातेदारी एवं तकासमा का प्रस्तुत हुआ था जिसमें भी उक्त व्यक्तियों के मध्य आपस में राजीनामा हुआ था जिसमें भी उक्त वसीयत को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की सहमति से निरस्त करते हुये राजीनामा दिनांक 07.03.1994 को तस्दीक हुआ था उसके पश्चात् भी नामान्तरकरण संख्या 112 व 769 दिनांक 30.09.1995 तस्दीक किया गया उपरोक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखे गये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का कोई हवाला दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक अपील संख्या 8/2016 बउनवानी शिवदान सिंह वगै. बनाम ग्राम पंचायत बाघावास वगै. में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 122 ग्राम गोल्या का बास एवं नामान्तरकरण संख्या 769 ग्राम बाघावास दिनांक 30.09.1995 को निरस्त फरमाया जावें एवं दोनों नामान्तरकरण पर विधि अनुसार जांच कर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 6 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 122 व 769 तस्दीक किये जाने के पश्चात् इसी अनुसार जमाबन्दियों में प्रविष्टियां अंकित की गई है कि रामनारायण उर्फ रामदान का स्वर्गवास दिनांक 08.11.2005 को हुआ तथा जो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तरकरण संख्या 769 व 122 तस्दीक होने के पश्चात् हुआ तथा उक्त दोनों नामान्तरकरण की बिना पर जमाबन्दी में पक्षकारों के हिस्स दर्ज किये गये तत्पश्चात् जब रामदान का स्वर्गवास हुआ तो जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टियों की वैधानिकता को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1137 तस्दीक किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 1652 में अपीलान्ट के हिस्से का पृथक रूप से उल्लेख भी किया गया, नामान्तरकरण संख्या 1137 व 1652 में अपीलान्ट ने उनके नाम दर्ज हिस्से की वैधानिकता को स्वीकार करते हुये मरूधरा ग्रामीण बैंक से न केवल लोन की राशि प्राप्त कर रखा है बल्कि अपने हिस्से की आराजी को बैंक में रहन भी रखी है, इसके पश्चात् भी अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 769 व 122 की प्रविष्टियों को स्वीकार करते हुये अपने हिस्से में से दो बीघा भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मन्नीदेवी पत्नी सीताराम बागडा को किया गया है, इन समस्त तथ्यों से यह तथ्य भली प्रकार से साबित है कि नामान्तरकरण संख्या 122 व 769 दिनांक 30.09.95 की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही रही है जबकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 22–23 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई तथा इतनी लम्बी देरी से अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई कारण प्रस्तुत नही किया जबकि प्रत्येक चार साल के पश्चात् प्रविष्टियॉ कायम की जाती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 6 ने कथन किया है कि सन् 1996 में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 10/96 उनवान मदनसिंह उर्फ दुर्गादान बनाम मालदान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट संख्या 1 के पिता एवं अपीलान्ट संख्या 2 के पति रामदान उर्फ रामनारायण भी पक्षकार थे, उक्त वाद में सभी पक्षकारों ने दिनांक 23.01.1996 को राजीनामा पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नियमानुसार तस्दीक किया जाकर निर्णय पारित किया गया, उक्त वाद में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23.01.1996 में अपीलान्ट संख्या 1 के पिता एवं अपीलान्ट संख्या 2 के पति ने नामान्तरकरण संख्या 122 व 769 दिनांक 30.09.1995 की वैधानिकता को स्वीकार किया था। उन्होने आगे कथन किया है कि रामदान उर्फ रामनारायण के द्वारा दिनांक 24.01.1996 को हकत्याग पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पक्ष में सम्पादित किया जाकर दिनांक 25.01.1996 को पंजीकृत भी करवाया गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 166 के द्वारा रामदान उर्फ रामनारायण के द्वारा दिनांक 12.06.97 के जोधीदेवी पत्नी छाजूराम अहीर निवासी धोलियो का बास को अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 का बेचान किया गया जिसमें भी नामान्तरकरण संख्या 122 व 769 की वैधानिकता उसके द्वारा स्वीकार की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी के खातेदार गोपालदान की मृत्यु होने पर वसीयतनामा के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बाघावास द्वारा नामान्तरकरण संख्या 122 व 769 दिनांक 30.09.1995 को स्वीकार किये गये

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है जिनके विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा लगभग 22 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपीलान्ट्स के पिता व पति द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की गई एवं अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वसीयतनामा को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर